



इंडियन प्लंबिंग स्किल्स काउंसिल
द्वारा
कोरोना वायरस से बचाव के लिए
प्लंबर्स के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश।



भूमिका



श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत

#IndiaFightsCorona

इंडियन प्लंबिंग स्किल्स काउंसिल (आईपीएससी), नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संरक्षण में भारत के प्लंबिंग क्षेत्र के लिए काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस दिशा-निर्देश सूची में वह सभी बिंदु बताए गए हैं जिनका पालन सभी प्लंबरों को मौजूदा कोरोना वायरस संकट के दौरान एवं इसके उपरांत करना चाहिए ताकि सभी के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का खयाल रखा जा सके।

सभी बिंदुओं को सरलता से समझाने के लिए इस सूची में 'क्या करें' और 'क्या ना करें' के उपविषयों के अंतर्गत सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है। कृपया इनका पालन करें ताकि इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोका जा सके।

कृपया ध्यान दें, COVID-19 एक खतरनाक बीमारी है, परन्तु अन्य खतरे जैसे बिजली की आपूर्ति, सीवर लाइन / गैस, अत्यधिक दबाव, कोड अनुपालन और अन्य पी० एच० ई० आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।



डॉ. महेंद्र नाथ पांडे,
कौशल विकास एवं
उद्यमशीलता मंत्री

इन बातों का ख्याल रखें

रिपोर्ट्स के अनुसार ये संभावना है कि किसी भी कार्यस्थल पर प्लंबिंग का काम करने के दौरान पानी एवं एयरोसोल के जरिये कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि प्लंबर्स पूरी सावधानी बरतते हुए अपना काम करें ताकि वे सुरक्षित रहें।

सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक नियमों का पालन करें।

अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें।

यदि किसी भी प्लंबर को प्रशासन या डॉक्टर द्वारा एकांतवास/ क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है तो वे काम करने के लिए घर से बाहर ना निकलें।

प्लंबर को स्पष्ट आश्वासन देना होगा कि ना ही उसे एकांतवास/ क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है एवं ना ही वह किसी भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आया है। यदि डॉक्टर या प्रशासन द्वारा किसी भी प्लंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित घोषित किया जाता है तो ना ही उसे घर से बाहर निकलना है तथा ना ही काम करना है।



आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें

गूगल प्ले स्टोर:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogya.setu>

आईओएस:

<https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357>

हेल्पलाइन ईमेल आईडी : ncov2019@gov.in
हेल्पलाइन नंबर : **011-23978046 (Toll Free: 1075)**



ये करें




सामान्य सावधानियां

1. प्रतिदिन अपने शरीर का तापमान चेक करें।
2. मास्क, शील्ड, चश्मा एवं दस्तानों का प्रयोग करें। अगर संभव हो तो पूरे चेहरे को फेस वाइज़र से ढकें।
3. अपने हाथों को हर थोड़े अंतराल के बाद साबुन-पानी से धोएं या सेनिटाइज़र का प्रयोग करें।
4. घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं रखें।
5. काम से वापस घर लौटते ही नहाएं एवं मैले वस्त्रों को तुरंत धोएं। ऐसा करने से आप एवं आपका परिवार संक्रमण से बच सकता है।
6. यदि आपको ऐसा ज्ञात हो कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो इसकी जानकारी तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दें या फिर ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
7. अपने औज़ारों को प्रयोग करने के पश्चात साबुन-पानी से या फिर सेनिटाइज़र से साफ़ करें। ध्यान रहे उसी सेनिटाइज़र का प्रयोग करें जोकि वायरस को नष्ट करने में सक्षम हो। काम करते समय जिस भी जगह, सामान इत्यादि को आप छुएं उसे पहले साबुन-पानी से साफ़ करें या सेनिटाइज़र करें।
8. अपने पास हमेशा अपना आईडी कार्ड एवं आईपीएससी सर्टिफिकेट रखें।
9. कोशिश करें कि सारा लेनदेन मोबाइल के माध्यम से करें। नकदी के लेनदेन से बचें।



ये ना करें ❌ सामान्य सावधानियां



1. घर के बाहर किसी भी व्यक्ति के स्पर्श में आने से बचें। हाथ मिलाने जैसी आदतों को फिलहाल त्याग दें।
2. किसी अन्य प्लंबर के साथ अपने औज़ार साझा ना करें। यदि आपको किसी से औज़ार लेने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले उसे अच्छे से साबुन-पानी से साफ़ करें या सेनिटाइज़ करें।
3. अपने मास्क, चेहरे, आँखों और नाक को बिना साबुन से हाथ धोये ना छुएं।
4. किसी भी दस्तावेज़ पर साइन करने लिए किसी अन्य व्यक्ति के पैन का प्रयोग ना करें।
5. किसी भी प्रकार के सामान को ग्राहक के घर/दफ्तर में ना छोड़ें।
6. किसी के मास्क का प्रयोग ना करें।
7. ग्राहक द्वारा दी गयी किसी भी वस्तु को ना खाएं।



विशेष स्थान सम्बंधित सावधानियां घर/ बंगले/ अपार्टमेंट में काम करने के दौरान ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें

1. कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जहां भी आप जा रहे हैं वहां कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज़ नहीं है। कार्यस्थल पर पहुँचने से पहले ग्राहक को अपने आगमन की जानकारी दीजिये तथा ये निवेदन कीजिये कि वह अपने घर को अच्छे से साफ़ कर ले। यदि आप क्लोरीन एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित कीजिये की कार्यस्थल हवादार है। यदि कार्यस्थल साफ़ नहीं तो पहले उसे साफ़ कीजिये ताकि आसपास मौजूद कीटाणु एवं वायरस नष्ट हो सके।
2. बंद हुई लाइनों को चैक करने के लिए चैंबर व्यक्तिगत रूप से ना खोलें। कोशिश करें कि वाटरजेट या गैस के प्रयोग से या स्थानीय अधिकारियों के पास उपलब्ध निरीक्षण / रखरखाव के लिए डी-क्लॉगिंग के अन्य उपाय द्वारा काम हो जाए। संभव हो तो एंडोस्कोपिक कैमरे का प्रयोग करें।
3. यदि आप किसी ऐसे कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं जिसे एक माह या अधिक से प्रयोग नहीं किया गया है तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार का एग्जॉस्ट ना चालू करें। सभी ट्रेप एवं डब्लूसी में पानी डाल कर ही कार्य प्रारम्भ करें। सभी पानी की आपूर्ति लाइन 200 पी० पी० एम० के क्लोरीन घोल द्वारा कीटाणुरहित की जानी चाहिए एवं उपभोक्ता को उपयोग करने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
4. ऊंची इमारतों में काम करने के दौरान ट्रेप में नकारात्मक दबाव से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि ऐंटी-साइफनेज/ वेंट स्टैक्स ठीक से काम कर रहे हैं।



विशेष स्थान सम्बंधित सावधानियां घर/ बंगले/ अपार्टमेंट में काम करने के दौरान ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें

5. लॉकडाउन के दौरान केवल वही काम करें जो अति-आवश्यक हैं तथा जिसमें आसानी से मरम्मत संभव है। कृपया रिनोवेशन एवं नए कनेक्शन लगाने जैसे बड़े एवं गैर-ज़रूरी काम ना करें।
6. काम करते समय जूतों को भी ढक कर रखें।
7. तंग और छोटी जगहों में काम करने से बचें। यह खतरनाक हो सकता है।
8. काम को शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सभी सामान और पुर्जे उपलब्ध हैं।
9. ये सुनिश्चित करें कि पानी एवं नाली की लाइनों में बैकफ्लो प्रीवेंटर लगे हैं।
10. ग्राहकों को ट्रेप एवं वाटर सील के महत्त्व के बारे में बताएं तथा ये भी बताएं कि वे डब्ल्यूसी के सीट कवर को बंद करके ही फ्लश करें।



विशेष स्थान सम्बंधित सावधानियां अस्पतालों, आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन सेंटर में काम करने के दौरान ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें

7. यदि कार्यस्थल पर परंपरागत नल लगे हैं तो जैसा कि चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाए उन्हें सर्जिकल/ सेंसर वाले/ टचलैस/ सेंसर आधारित या पैर से चलने वाले नल एवं सेंसर आधारित यूरिनल फ्लश वाल्व से बदलने की कोशिश कीजिए। यदि वाटरलेस यूरिनल्स का उपयोग किया जा रहा है, तो निर्माताओं के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित अंतराल पर प्राइमिंग और कीटाणुनाशक का प्रयोग कीजिए।
8. बंद हुई लाइनों को चेक करने के लिए चेंबर व्यक्तिगत रूप से ना खोलें। कोशिश करें कि वाटरजेट या गैस के प्रयोग से या स्थानीय अधिकारियों के पास उपलब्ध निरीक्षण / रखरखाव के लिए डी-क्लॉगिंग के अन्य उपाय द्वारा काम हो जाए। संभव हो तो एंडोस्कोपिक कैमरे का प्रयोग करें।
9. ये सुनिश्चित करें कि पानी एवं नाली की लाइनों में बैकफ्लो प्रीवेंटर लगे हैं।
10. ये सुनिश्चित करें कि सभी ट्रेप्स में वाटरसील लगी है।
11. स्वास्थ्यकर्मियों को इस बारे में जागृत करें कि वे डब्ल्यूसी के सीट कवर को बंद करके ही फ्लश करें तथा यदि संभव है तो गर्म हवा द्वारा जैनिटर सिंक को कीटाणुरहित कीजिये ताकि वायरस को नष्ट किया जा सके।




विशेष स्थान सम्बंधित सावधानियां व्यवसायिक एवं संस्थागत भवनों/ इमारतों में काम करने के दौरान ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें

1. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु व्यावसायिक इमारतों एवं संस्थान द्वारा जारी किये गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें।
2. अधिकृत/ संचालन संस्था के व्यक्ति के साथ ही इमारत में ही प्रवेश करें।
3. यदि आप किसी ऐसे कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं जिसे एक माह या उससे ज़्यादा की अवधी से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार का एग्जॉस्ट ना चालू करें। सभी ट्रैप एवं डब्लूसी में पानी डाल कर ही काम शुरू करें। सभी पानी की आपूर्ति लाइन 200 पी० पी० एम० के क्लोरीन घोल द्वारा कीटाणुरहित की जानी चाहिए एवं उपभोक्ता को उपयोग करने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
4. यदि कार्यस्थल साफ़ नहीं तो पहले उसे साफ़ कीजिये ताकि आसपास मौजूद कीटाणु एवं वायरस नष्ट हो सके। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित कीजिये कि कोई भी कार्यस्थल का प्रयोग ना करें।
5. यदि इमारत पिछले कुछ हफ़्तों से बंद है तो ऐसी स्थिति में एस० टी० पी०, सेप्टिक टैंक एवं बेसमेंट की जल निकासी का परिचालन इत्यादि किसी अनुभवी एजेंसी द्वारा ही किया जाना चाहिए। सभी एस० टी० पी० के ब्लोअर और वायु संचारण सक्रीय होना चाहिए। एस० टी० पी० पर काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मास्क, दस्ताने और जूता कवर पहन कर जाना चाहिए। सभी पानी की पाइपलाइनों को पुनः प्रयोग से पहले फ्लश एवं कीटाणुरहित कर लेना चाहिए।
6. मरम्मत शुरू करने से पहले प्लंबिंग संबंधी वस्तुओं को कीटाणुरहित कर लें।



व्यवसायिक एवं शैक्षणिक इमारतों में काम करने के दौरान ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें

7. बहुमंज़िल इमारतों में काम करने के ट्रेप में नकारात्मक दबाव से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि ऐंटी-साइफनेज/ वैंट स्टैक्स ठीक से काम कर रहे हैं।
8. बंद हुई लाइनों को चेक करने के लिए चैंबर व्यक्तिगत रूप से ना खोलें। कोशिश करें कि वाटरजेट या गैस के प्रयोग से या स्थानीय अधिकारियों के पास उपलब्ध निरीक्षण / रखरखाव के लिए डी-क्लॉगिंग के अन्य उपाय द्वारा काम हो जाए। संभव हो तो एंडोस्कोपिक कैमरे का प्रयोग करें।
9. यदि कार्यस्थल पर परंपरागत नल लगे हैं तो प्रबंधन को उन्हें सर्जिकल/ सेंसर वाले/ टचलैस/ सेंसर आधारित या पैर से चलने वाले नल एवं सेंसर आधारित यूरिनल फ्लश वाल्व से बदलने का सुझाव दें। यदि वाटरलेस यूरिनल्स का उपयोग किया जा रहा है, तो निर्माताओं के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित अंतराल पर प्राइमिंग और कीटाणुनाशक का प्रयोग कीजिए।
10. ये सुनिश्चित करें कि पानी एवं नाली की लाइनों में बैकफ्लो प्रीवेंटर लगे हैं।
11. वाश बेसिन और सिंक के लिए असरदार ट्रेप्स लगाने आवश्यक हैं।
12. ये सुनिश्चित करें कि हर ट्रेप में वाटरसील लगी है।



अन्य बातें जिनका ख्याल रखें

1. अपने पास अतिरिक्त मास्क रखें।
2. चीज़ों को साफ़ करने के लिए साबुन-पानी या डेटोल जैसे डिसइन्फैक्टेंट हमेशा अपने पास रखें।
3. खराब सामान को रखने के लिए एक अतिरिक्त बैग अपने पास रखें।
4. चीज़ों को साफ़ करने के लिए माइक्रो-फाइबर कपड़े का प्रयोग करें।
5. अगर प्रशासन द्वारा कोई पास जारी किया गया है तो उसे प्राप्त करके ही घर से निकलें।
6. अपने पास एक डायरी में निम्नलिखित जानकारी लिखकर रखें:
 1. नाम
 2. पता
 3. नंबर
 4. किये गए काम की जानकारी





**सफलता भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने से नहीं बल्कि,
वर्तमान में लिए गए छोटे छोटे कदमों के कारण मिलती है।**



IPSC

**तकनीकी समिति, इंडियन प्लंबिंग स्किल्स काउंसिल (आईपीएससी), द्वारा रचित
श्री एम० के० गुप्ता, श्री विनय गुप्ता, श्री मिलिंद शेटे, श्री संदीप के० रायचौधरी,
श्री चिंतन दर्ईया और प्लंबिंग जगत के अन्य प्रतिष्ठित दिग्गज**

इंडियन प्लंबिंग स्किल्स काउंसिल

P: +91 11 41513580 | P: +91 11 41400556 | W: www.ipssc.in | E: ipssc@ipssc.in

A: यूनिट- 606 एवं 609, टावर-सी, डीएलएफ प्राइम टावर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़-1, नई दिल्ली - 110020